कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि०
आजमगढ़

पत्र संख्या 2231/एन0ओ0सी0–आ0वृ0/18 दिनांक– 22/03/2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0,
आजमगढ़।

विषय:– **जनपद जौनपुर में ग्राम–मथिया/भीखपुर, परगना–मुँगरा, तहसील–मछलीशहर, आराजी नं0–2638 पर इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, वाराणसी** द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– जिलाधिकारी, जौनपुर का पृष्ठांकन संख्या–1270/श0लि0 दिनांक 05.03.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, जौनपुर द्वारा जांचोपरान्त रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन संस्तुति की है, जो निम्न प्रकार है–

1. जनपद जौनपुर में ग्राम–मथिया/भीखपुर, परगना–मुँगरा, तहसील–मछलीशहर, आराजी नं0–2638 पर इलाहाबाद–गोरखपुर राज्य मार्ग सं0–7(मुँगराबादशाहपुर–~~सुजानगंज~~ इलाहाबाद) के किमी0 45 चैनेज 200–400 में बांये तरफ इण्डियन ऑयल कारपेरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।
2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से **23.00 मीटर (75 फीट)** की दूरी के बांद प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय।
3. **प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि निर्माण मार्ग की लेपित सतह** से न्यूनतम **30 से0मी0** नीचा करना होगा, जिससे मार्ग के लेपित सतह पर जल जमाव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ **2–3प्रतिशत** का स्लोप होना चाहिए।
4. पानी निकासी हेतु पक्का नाला एवं पुलिया का निर्माण, निर्माणकर्ता द्वारा ही मार्ग के लेपित सतह से नीचा करना होगा। कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व आउटलेट एवं पानी निकासी के लिये ले–आउट प्लान/ड्राइंग अनुमोदित करा ली जाय।
5. मार्ग के समानान्तर रिटेल आउटलेट की पूरी चौड़ाई में **1.00 मीटर** की आर0सी0सी0 स्लेब के साथ नाली निर्माण कराया जाय। यह न्यूनतम मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से **23.00 मीटर (75 फीट)** के बाद ही होना चाहिए।
6. बफर स्ट्रिप, टायलेट सेट एवं पोल आदि का निर्माण लेपित सतह के मध्य बिन्दु से **23.00 मीटर (75 फीट)** की दूरी के बाद करना होगा।
7. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग की न्यूनतम लेपित सतह चौड़ाई **5.30 मीटर** तथा लेपित सतह के लिये न्यूनतम **150 एम0एम0 जी0एस0बी0** के ऊपर **डब्लू0बी0एम0/डब्लू0एम0एम0** की तीन लेयर प्रत्येक लेयर की मोटाई **75एम0एम0** तथा टाप में **50 एम0एम0 बी0एम0** के साथ **25 एम0एम0 एस0डी0बी0सी0** की होनी चाहिए।
8. **प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय** यू0पी0रोड साइट लै0क0 एक्ट–1945 के अन्तर्गत निहित शर्तों का **भी पालन करना होगा।**
9. **रिटेल आउटलेट से पूर्व 500 मी0 व 1.00 किमी0** इन्ट्री एवं एक्जिट बिन्दु पर आई0आर0सी0–67 व आई0आर0सी0–एस0पी0–55 के अनुरूप साईन बोर्ड का प्राविधान किया जाय।
10. ज्वलनशील पदार्थो के भण्डारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर के निर्माण कार्य कराया जाय।
11. किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट स्थल से पानी का निकासी मार्ग पर नही होना चाहिये। रिटेल आउटलेट परिसर के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
12. प्रत्येक दशा में एम0ओ0एस0टी0 नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0 33023/19/99–डी0ओ0–3 दिनांक 31.08.2000 द्वारा जारी मानकों का पालन किया जाय।

उपरोक्त शर्तो का पालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नक–मानचित्र एवं समस्त अभिलेख मूल में।

(एन0राम)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, जौनपुर को उनके पत्रांक–482/1सी दिनांक 14.03.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

राहुल दीक्षित/Rahul Dixit
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबन्धक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105 /Varanasi-221105

अधीक्षण अभियन्ता
आजमगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0,
आजमगढ़।

1400 Hrs
22/3/18